कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0708103 दिनांक 29/12/07

पत्रांक-प०सं०-25 क परिपत्र -वैट व्यवस्था-2007 // 479 [illegible]

कार्यालय कमिश्नर, व्यापार कर, उ०प्र०
(वैट-अनुभाग)
दिनांक:लखनऊ: 29 दिसम्बर, 2007

समस्त एडीशनल कमिश्नर, व्यापार कर, उ०प्र०।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(एस०आई०बी०/कार्या०/अपील/ उच्च न्या० कार्य/ सर्वोच्च न्यायकार्य)व्यापार कर, उ०प्र०।
समस्त डिप्टी कमिश्नर (सचल० /प्रवर्तन / एस०आई०बी० / कार्या० / राज्य प्रतिनिधि / व्यापार कर, उ०प्र० ।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / व्यापार कर अधिकारी, उ०प्र० ।

जैसा कि आप अवगत है कि दिनांक 1-1-08 से प्रदेश में उत्तर प्रदेश वैट अध्यादेश -2007 प्रभावी हो रहा है और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम -1948 दि० 1-1-08 से ही रिपील हो जायेगा । प्रवर्तन कार्यों, विशेष रूप से सहायता केन्द्रों के कार्य में यह अध्यादेश प्रभावी होने से कतिपय कठिनाईयाँ ट्रांजिशन अवधि में उत्पन्न हो सकती है, जिनको दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है-

2- वैट अध्यादेश लागू होने पर जो माल ट्रांजिट में है और जिसके लिए आयातकर्ता पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयात घोषणा पत्र (फार्म-31) जारी किया जा चुका है, ऐसा माल आयात घोषणा पत्र (फार्म-31) पर ही पास किया जायेगा और इस आधार पर कोई माल नहीं रोका जायेगा ।

3- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दि० 1-1-08 से जो भी आयात घोषणा पत्र जारी किये जायेंगे, उन पर " उत्तर प्रदेश वैट अध्यादेश -2007 / प्रपत्र -38 " की मुहर लगायी जायेगी और साथ ही " वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश " की मुहर भी लगाई जायेगी । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयातकर्ता पंजीकृत व्यापारी के पास जो भी आयात घोषणा पत्र है उनका प्रयोग वह प्रपत्र -38 की तरह अग्रिम आदेशों तक करते रहेंगे ।

4- कई ऐसी वस्तुएं भी परिवहन के दौरान सहायता केन्द्रों पर आ सकती है जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम -1948 के अन्तर्गत कर मुक्त थी, किन्तु वैट व्यवस्था में दि० 1-1-08 से कर योग्य हो जायेगी । यदि सहायता केन्द्रों पर किसी पंजीकृत व्यापारी का ऐसा माल बिना आयात घोषणा पत्र के आता है तो सहायता केन्द्र पर तैनात अधिकारी द्वारा ऐसे माल के संबंध में बिल / बीजक / चालान तथा बिल्टी व चालान जो भी उपलब्ध हो, की एक प्रति लेकर माल पास किया जायेगा और यह प्रति संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी । यदि माल के संबंध में उपर्युक्त दस्तावेज की एक ही प्रति उपलब्ध है तो मूल प्रति सहायता केन्द्र के अधिकारी द्वारा लेकर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को भेजी जायेगी और फोटो प्रति प्रमाणित कर वाहन चालक को दे दी जायेगी । इन प्रपत्रों को संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को आयात घोषणा पत्रों की भांति ही प्रेषित किया जायेगा । यह व्यवस्था दि० 31-12-07 की रात्रि 12.00 बजे के बाद से दिनांक 15-01-08 तक लागू रहेगी और दि० 15-01-08 के बाद ऐसा माल सहायता केन्द्र पर आने की दशा में आयातकर्ता पंजीकृत व्यापारी द्वारा बाद में आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 प्रस्तुत करने पर माल पास कर दिया जायेगा और ऐसे माल के संबंध में आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 प्रस्तुत करने पर अभिग्रहण व जमानत वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । यह व्यवस्था दि० 16-01-08 से 31-01-08 तक लागू रहेगी । दिनांक 1-2-08 के बाद माल के साथ आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र -38 होने पर ही माल पास किया जायेगा । अन्यथा स्थिति में विधिअनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

5- पंजीकृत व अपंजीकृत व्यापारियों से माल के प्रान्तीय / अन्तर्प्रान्तीय परिवहन की दशा में अभिग्रहण की दशा में जमानत लिये जाने संबंधी जो भी निर्देश उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत, कमिश्नर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों से दिये गये थे उन्हीं के अनुसार जमानत (अधिकतम , माल के मूल्य का 40 प्रतिशत) लिये जाने की कार्यवाही वैट लागू होने के बाद भी अग्रिम आदेशों तक की जाती रहेगी तथा जमा कराई गयी जमानत के संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही भी विधि अनुसार की जायेगी । यह निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे ।

6- सहायता केन्द्रों पर कतिपय वस्तुओं के संबंध में कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार जो समाधान राशि जमा कराई जाती थी । इन वस्तुओं के संबंध में उतनी ही राशि दि० 1-1-08 से अग्रिम आदेशों तक जमानत के रुप में जमा कराई जायेगी (समाधान शुल्क नहीं) और विधि अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी । यह निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे ।

7- कृपया समस्त कार्यालयों / जॉच चौकियों पर व्यापार कर के स्थान पर वाणिज्य कर परिवर्तित किया जाना तथा तद्नुसार अधिकारियों की नाम पट्टिका / मुहर में भी परिवर्तन कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, व्यापार कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकनसंख्या दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (पॉच प्रतियों में)।
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर,उ०प्र०।
(5) विशेष कमिश्नर व्यापार कर , उ०प्र०, मुख्यालय लखनऊ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०/वि०अनु०शा०/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्धक, इलेक्ट्रि०, निकष, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट II, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10, नोएडा।
(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य व्यापार कर, गाजियाबाद।
(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असि०कमि० (उ०न्या०कार्य०) व्यापार कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
(17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई ब्राई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10प्रतियाँ।
(18) वैट अनुभाग मुख्यालय को 30 प्रतियाँ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो०, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्य नगर, संगीत टॉकिज के पीछे कानपुर
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारूलशफा, लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
(26) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डि०, 4/180, विशाल खण्ड, पी०सी०-17, गोमती नगर, लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डि०, 1-ए, स्टेपल्स, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डि० द्वारा बाबा बेबी साइकिल इण्डि०, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
(29) आल इण्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इण्डियन इण्डि० एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के माध्यम से।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

(33) शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

(34) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर

(35) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

(36) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

(37) डा० छेदी लाल साथी, ए-3/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।

(38) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

(39) श्री अशोक यादव, सी के -24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी।

(40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 303, पंचशील कालोनी, महावीर चौक, मु०नगर।

(41) श्री पी०एस०जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-21, नोयडा।

(42) श्री विजय चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलयार मण्डी, सहारनपुर।

(43) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

(44) श्री संतोष कुमार (कनाम), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा० निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लौह व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।

(46) इन्डियन इण्डा०एसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।

(47) संयोजक, टैक्सेशियो एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी० (रजि०)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।

(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रूम, जयपुर हाउस, आगरा।

(49) श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इन्डस्ट्रियल डिवीजन को०आ० स्टेट लि०, 31-बी, उद्योग नगर, कानपुर।

(50) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो० 3-पवन, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(51) श्री दिनेश आनेरा, उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो०, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।

(52) श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।

(54) श्रीअरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०) बी-29, विधायक निवास, पार्क रोड, लखनऊ।

(55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल,राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द मित्तल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 66-ए, बी०एन०रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।

(58) अध्यक्ष, आई०आई०ए० इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 फोन नं० 2720097।

(59) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवाला चौराहा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सा० के०)व्यापार कर,
मुख्यालय , लखनऊ।